

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 54]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 11 फरवरी 2019—माघ 22, शक 1940

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 11 फरवरी 2019

क्र. एफ ए-3-18-2018-1-पाँच-(20).—मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 3 की उपधारा (4) एवं धारा 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक:—

- (1) एफ-ए-3-54-2016-1-पाँच (5) भोपाल दिनांक 16 फरवरी, 2017
- (2) एफ-ए-3-54-2016-1-पाँच (45) भोपाल दिनांक 16 मई, 2018
- (3) एफ-ए-3-18-2018-1-पाँच (52) भोपाल दिनांक 15 जून, 2018

को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में उल्लेखित अधिकारियों को कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिए अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त करती है तथा क्षेत्र के उक्त अधिनियम की धारा 46 के अधीन लम्बित या उद्भूत होने वाले अपील प्रकरणों को निपटाने की शक्तियाँ प्रदान करती है. यह दायित्व उनके वर्तमान दायित्वों के अतिरिक्त होगा:—

सारणी

अ. क्र. (01)	नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापना (02)	क्षेत्र (03)
01	श्री अविनाश लवानिया, अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर कार्यालय, आयुक्त वाणिज्यिक कर मध्यप्रदेश, इन्दौर.	परिक्षेत्र इंदौर-1 परिक्षेत्र इंदौर-2 परिक्षेत्र भोपाल
02	श्री एन. एस. मरावी, संचालक, वाणिज्यिक कर कार्यालय आयुक्त, वाणिज्यिक कर मध्यप्रदेश, इंदौर.	परिक्षेत्र ग्वालियर परिक्षेत्र जबलपुर

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अरूण परमार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 11 फरवरी 2019

क्र. एफ ए-3-18-2018-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय के आदेश क्रमांक एफ ए-3-18-2018-1-पांच (20), दिनांक 11 फरवरी 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण परमार, उपसचिव.

Bhopal, the 11th February 2019

F A-3-18-2018-1-V-(20).—In exercise of the power conferred by sub-section (4) of Section 3 and Section 3-A of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002) and in supersession of this department's notification Nos:—

- (1) F-A-3-54-2016-1-V-(5) Bhopal, the 16th February, 2017
- (2) F-A-3-54-2016-1-V-(45) Bhopal, the 16th May, 2018
- (3) F-A-3-18-2018-1-V-(52) Bhopal, the 15th June, 2018

the State Government hereby, appoints the officers mentioned in column (2) of the table below, as Appellate Authority for the area specified in column (3) and confers the powers to dispose off the appeal cases pending or arising under section 46 of the said act in the area. This responsibility shall be in addition to his present responsibilities:—

TABLE

S. No. (01)	Name, Designation and present posting (02)	Area (03)
01	Shri Avinash Lavania, Additional Commissioner, Office of the Commissioner, Commercial Tax, Madhya Pradesh, Indore.	Zone Indore-1 Zone Indore-2 Zone Bhopal
02	Shri N. S. Maravi, Director, Commercial Tax, Office of the Commissioner, Commercial Tax, Madhya Pradesh, Indore.	Zone Gwalior Zone Jabalpur.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ARUN PARMAR, Dy. Secy.